राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प खेड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 459 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1 भोमाराम पुत्र जालाराम जाट 2 सोनी देवी पत्नि मालाराम जाट 3 लाखाराम पुत्र मालाराम जाट 4 गोविन्दराम पुत्र मालाराम जाट 5 मेनाराम पुत्र प्रभुराम जाट 6 पेमाराम पुत्र जीयाराम जाट 7 विरधाराम पुत्र अचलाराम प्रजापत 8 जयसिंह पुत्र हेमसिंह रावणा राजपुत 9 नरपतसिंह पुत्र हेमसिंह रावणा राजपुत 10 देवाराम पुत्र मगाराम जाट 11 रुकमो देवी पत्नि जेहाराम जाट 12 रामलाल पुत्र जेहाराम जाट 13 जमना देवी पत्नि रामलाल जाट सभी निवासीयान खेड़ तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट हेतु दुरुस्त करने लिपिकीय त्रुटि

आदेश

उपस्थित :– प्रार्थीगण वकील
विप्रार्थी स्वयं

दिनांक : 14.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा खेड़ में कृषि खसरा संख्या 126 अवस्थित रहा है जिसमें हम प्रार्थीगण पिछले करीब 35–40 वर्षो से स्थाई रुप से निवास करते रह रहे है तथा उक्त खसरे मे हम प्रार्थीगण के पक्के मकान इत्यादि बना रखे है। हम प्रार्थीगण के मकानात व कब्जा उक्त खसरे की भूमि में रहा इसलिये प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत खेड़ में पट्टा प्राप्ति के आवेदन प्रस्तुत किये पर मौके की जांच होने पर उक्त तथ्य सामने आया कि खसरा संख्या 126 का रकबा खतौनी अनुसार 05.06 बीघा है, जबकि मौके व नक्शा ट्रेस अनुसार वक्त सेटलमेन्ट में रकबा 18.10 बीघा है, इस कारण हम प्रार्थीगण के जिस जगह कब्जा एवं मकानात बने हुए है का टाइटल प्राप्त नही कर सकते जिस पर आप श्रीमान के समक्ष 18.05.2017 को लिखित पत्र प्रस्तुत कर रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा एवं नक्शा लट्टा ट्रेस के रकबे में भिन्नता होने की वजह से मौके की रिपोर्ट लाने का निवेदन किया।

श्रीमान के आदेश के उप तहसीलदार जसोल तथा संबंधित हल्का पटवारी खेड़, आई.एल.आर. साजियाली पदमसिंह द्वारा दिनांक 24.05.2017 को रुबरु मौतबिरान, ग्राम पंचायत के सरपंच के मौके की जांच की जिसमें पाया गया कि खसरा संख्या 126 की खतौनी में रकबा 05.06 बीघा दर्ज है जबकि वास्तविक रकबा मौका व नक्शा अनुसार रकबा 18.10 बीघा है जो 13.04 बीघा रकबा खतौनी में कम दर्ज हुआ है वो सहवन से कम दर्ज हुआ है। मौके पर पुरा 18.10 बीघा रकबा माफिक नक्शा कायम है तथा आबादी बसी हुई है एवं लोगो के बिजली व पानी के कनेक्शन इत्यादि लिये हुए है ऐसी जांच के उपरांत भी जमाबन्दी में दर्ज लिपिकीय त्रुटिवश अशुद्ध रकबे की दुरस्ती बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई सेटलमेंट कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूल की वजह से मौके एवं नक्शा के विपरीत जमाबन्दी में दर्ज रकबे की दुरुस्ती हेतु वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है रेकर्ड जमाबन्दी में सही व

Scanned by CamScanner

वास्तविक रकवा मौके व नक्शानुसार दर्ज नहीं कर अशुद्ध करने से उक्त त्रुटि की शुद्धि धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट की परिधि में आती है।

अतः सरहद मौजा खेड के खसरा नम्बर 126 जिसका क्षेत्रफल उक्त सेटलमेंट जमाबंदी में 05.06 बीघा किस्म रेल दोयम दर्ज किया गया था के स्थान पर भौतिक मौका स्थिति नक्शा अनुसार सही व वास्तविक रकवा 18.10 बीघा कुल यानि बढ़ोतरी रकवा 13.04 बीघा वर्तमान में खाता संख्या 1 के राज्य सरकार के नाम किया जाकर तरमीम खसरा संख्या अंकित किया जावें। क्योकि पूर्व में दर्ज इस खसरा संख्या 126 का रकवा निजी खातेदारो के नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार दुरस्ती करने से रेकर्ड में हुई त्रुटि की दुरस्ती हो सके उक्त त्रुटि एरर एपिरेन्ट ऑफ दी फेस ऑफ रेकर्ड है उक्त त्रुटि दुरस्त से आमजन को फायदा मिलेगा और रेकर्ड भी दुरुस्त होगा तथा राजस्व नियमावली अनुसार जमाबन्दी व नक्शे का रकवा भी समान होगा।

विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिनंक 14.06.2018 के कैम्प कोर्ट खेड मे पेश किया तथा पूर्व में कराई गई जांच को सही बताते हुवे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों मौके व रेकर्ड की जांच से सही होना पाया गया यदि मौका की भौतिक स्थिति एवं नक्शा की वास्तविक स्थिति अनुसार जमाबन्दी का रकवा दुरुस्त किया जावे तो रेकर्ड दुरुस्त होगा। उक्त खसरा संख्या 126 का सही व वास्तविक रकवा खाता संख्या 01 में राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जावे। विप्रार्थी ने जवाब के पद संख्या 02 में वर्णित मूल जांच रिपोर्ट संलग्न पेश की है। तथा गांव का रकवा यथावत रखते हेतु खसरा नंबर 191 रकबा 297.12 बीघा गैर मु खार से रकवा 13.04 कम किया जाने का निवदेन किया।

हमने उपस्थित प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी को सुना गया तथा मजमे आम में पुछताछ की गई उपस्थित मजमे आम लोगो ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद की था खसरा नंबर 126 रकवा 5.06 बीघा भूमि आवंटित होना बताया तथा नक्शा इस भूमि का बड़ा है जमाबन्दी में रकवा कम दर्ज है। रकवा नक्शानुसार दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा इस सम्बन्ध में चर्चा भी की गई तथा प्रस्तुत मूल जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट में खसरा नंबर 126 का रकवा जमाबन्दी में 5.06 बीघा दर्ज होना बताया तथा मौका व नक्शानुसार रकबा 18.10 बीघा बनता है जो फर्द अनुसार 13.04 बीघा कम दर्ज हुआ तथा फर्द में गांव का रकवा यथावत रखते हुये सिवायचक/गोचर/ओरण/नदी/बजड आदि सरकारी भूमि का रकवा कम कर रेकर्ड दुरुस्त करना बताया। तथा उपतहसीलदार जसोल ने उक्त जांच के सम्बन्ध में पत्रांक/भू.अ./17/– दिनांक 25.06.17 द्वारा जांच भेजी गई जिसमें आर.आई. व पटवारी हल्का द्वारा की गई जांच के तथ्यों के आधार पर है तथा रेकर्ड दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया।

विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा ने अपने जवाब में भी उक्त स्थिति को दोहराते हुये मौका की भौतिक स्थिति एवं नक्शा का वास्तविक स्थिति अनुसार जमाबन्दी का रकवा दुरुस्त किया जाये तो रेकर्ड दुरुस्त होगा उक्त खसरा संख्या 126 का सही व वास्तविक रकवा खाता संख्या 1 में राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम खेड के खसरा नंबर 126 का जमाबन्दी में रकवा 5.06 बीघा दर्ज है जो निजी व्यक्यिों को खातेदार दर्ज है तथा मौका जांच आर. आई. व भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा के जवाब अनुसार मौके व नक्शाट्रेस अनुसार 13.04 बीघा भूमि कम दर्ज होना पाया गया। ग्राम खेड के खसरा नंबर 191 रकबा 297.12 बीघा गैर मु.खार में से 13.04 बीघा भूमि कम कर खसरा नम्बर 126 के खातेदारो की भूमि छोड़कर मौके व नक्शे मे शेष भूमि का खसरा नंबर –/126 रकवा 13.04 बीघा राज्य सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड में मजमे आम में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प–2018
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर